राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 860/2015/जयपुर
2. अपील संख्या – 861/2015/जयपुर
3. अपील संख्या – 862/2015/जयपुर

मैसर्स मंगला प्रोडेक्टस प्रा0लि0,
बी–235, रोड नं0 9, वीकेआईए, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन वृत–द्वितीय, राज. जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल,सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोती कोटवानी, अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी तृतीय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा तालिकानुसार पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, वृत्त द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे**"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् निम्न तालिकानुसार पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेशों के जरिये कायम मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकारते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया है ।

2. इन सभी प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी इंग्टस का विनिर्माण एवं रा मेटेरियल–स्क्रेप, सिलकॉन, स्पॉज, फेरो सिलिकान का क्रय विक्रय करता है। उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन जयपुर को आर.ई.आर.सी. से प्राप्त रिकार्ड जिसमें डाइरेक्टर जनरल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, एन्टीइवेजन शाखा, जयपुर की सूचना के आधार पर व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त द्वितीय, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा आलौच्य अवधियों का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण पर पाये गये माल की भौतिक गणना कर फर्द तैयार की गई। तत्पश्चात अधिनियम की धारा 75(1) के तहत व्यवसायी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवसायी की उपस्थिति में जांच सत्यापन रिर्पोट तैयार की गई, जिसमें असत्यापित बिक्री अर्थात बिक्री का छिपाव एवं अघोषित माल पाया गया, जिस पर करापवंचन का अभियोग तैयार कर प्रकरण उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से

लगातार.....2

असंतुष्ट होकर आदेश 12.01.2015 द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध आलौच्य अवधियों में कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.03.2015 द्वारा व्यवसायी की अपीलों को स्वीकार कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये। अपीलीय अधिकारी के आदेशों से क्षुब्ध होकर, व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में पेश की गयी है, जिनका विवरण नीचे तालिकानुसार दर्शाया जा रहा है :–

अं.सं.	क.नि.वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज	कुल रू.
860/15	09–10	2,30,945	4,61,890	1,47,805	8,40,640
861/15	10–11	3,10,468	6,20,936	1,61,443	10,92,847
862/15	11–12	1,60,77,645	3,21,55,290	64,31,058	5,46,63,993

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की की जांच के आधार पर बनी विगत पर अवस्थित है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण नहीं कर प्रकरण प्रतिप्रेषित अनुचित तौर पर किया है, क्योंकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उनके यहां पर कोई करापवंचन नहीं पाया था केवल केन्द्रयी उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच पर निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर ही मांग सृजित की गई, जो अनुचित है अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्तनीय है।

6. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है एवं प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2015 द्वारा निम्न दिशा निर्देशों के साथ प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो निम्न प्रकार है :–

(i) DGCEI स्तर पर अब उनकी जांच पर अब अंतिमतः (सेटलमेंट कमीशन में लम्बित स्थिति तक) क्या स्थिति है, उसे ज्ञात करें।

(i) DGCEI की जांच में जो साक्ष्य मिले थे, उनसे संबंधित सभी व्यक्ति, ट्रांसपोर्टस् अथवा फर्म से अपनी स्वतंत्र जांच करके evidence finding व conclusion तय किया जाए।

(iii) इन Conclusion पर अपीलार्थी समुचित सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जाये।

(iv) चूंकि ऐसा ही प्रकरण अपीलार्थी की सिस्टर कन्सर्न मंगला इस्पात (जयपुर) लि0 (MIJL) बना है और अपीलार्थी व इस कंसर्न के संव्यवहार Interlinked है, अतः दोनों की ही स्वतंत्र जांच को समग्रतः (In totality) समान्तर रूप से निष्पादित की जाये।

(v) प्रतिप्रेषण के फलस्वरूप पारित होने वाले कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी के पूर्व्यावत का निर्धारण सेल प्राईज प्रावधानों के आधार पर हो न कि एक्साईज के मेन्यूफेक्चरिंग स्तर पर आंकलित किये जा रहे, आधार पर।

लगातार.....3

(vi) प्रतिप्रेषण के फलस्वरूप पारित होने वाले कर निर्धारण आदेश में, अपीलार्थी द्वारा पेश उपरोक्त जवाब पर (जो अब तक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविवेचित है) बिन्दुवार स्पेसिक स्पीकिंग आदेश पारित किया जाये।''

हस्तगत प्रकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा बनी विगत के आधार पर बनाया गया था, जिसके लिये अपीलीय अधिकारी ने रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये थे। चूंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में माल की कीमत Ex taclory होती है। अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत स्वीकार की गई राशि व अन्य खर्चों को मध्यनजर रखते हुए विक्रय मूल्य का आंकलन कर, कर निर्धारण करने हेतु प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है, अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित निर्देश कि यदि किसी संव्यवहार अपीलार्थी के मामले में निर्धारित हो चुके है तो उन संव्यवहारों को अन्य सहयोगी कम्पनी के निर्धारण में नहीं लिया जावे, में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

समान तथ्यों पर आधारित मैसर्स मंगला इस्पात बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 17.05.2017 में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की गई है। अतः उक्त निर्णय के अवलोकन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देश उचित एवं विधिक है, उपरोक्त दिशा निर्देशों के आलोक में अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने की सीमा तक अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है, तदनुसार व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

29.6.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष